माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक /692/डी.एड.सेल/2022 भोपाल, दिनांक24/05/2022

प्रति,

प्राचार्य/सचिव/अध्यक्ष
समस्त डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएँ
मध्यप्रदेश

विषयः–सत्र 2022–23 की डी.एल.एड. संचालित करने वाली समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली की वेबसाइट पर PAR (Performance Appraisal Report) अपलोड करने संबंधी।

संदर्भः–एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली द्वारा जारी पब्लिक नोटिस नं.–F.NCTE-Reg1012/11/2021-Reg.Sec-HQ, dATE 03-05-2022

—//—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित नोटिस द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली ने पब्लिक नोटिस नं.–F.NCTE-Reg1012/11/2021-Reg.Sec-HQ, DATE 03-05-2022 के द्वारा जारी कर लेख किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक 27.04.2022 निर्णयानुसार जिन संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा एन.सी.टी.ई. की वेबसाईट पर PAR (Performance Appraisal Report) अपलोड नहीं किया गया है, उन संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022–23 में नवीन प्रवेश शून्य घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों–डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दी गयी सहयुक्तता एन.सी.टी.ई. के अनुमोदनाधीन होती है अर्थात एन.सी.टी.ई. की मान्यता के उपरान्त ही मण्डल द्वारा संबद्धता जारी की जाती है।

अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 27.04.2022 के निर्णय के अनुक्रम में जिन संस्थानों द्वारा एन.सी.टी.ई. की वेबसाइट पर PAR (Performance Appraisal Report) अपलोड नहीं किया गया है, उन संस्थानों के पाठ्यक्रमों (डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई.) में शैक्षणिक सत्र 2022–23 के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित शून्य रहेगा।

कृपया अवगत होना चाहें।

उपसचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./693/डी.एड.सेल/2022 भोपाल, दिनांक24/05/2022

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, नेशनल कॉन्सिल ऑफ टीचर्स एज्यूकेशन, हंस भवन, विंग–2, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एव काउन्सिलिंग प्रक्रिया स्थगित किये जाने हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल कॉन्सिल ऑफ टीचर्स एज्यूकेशन, जी–7, सेक्टर–10, द्वारका लेण्डमार्क –नियर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली–110075 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अवर सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त ऑचलिक/संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपसचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

H:_\letter.doc